**Uttar Pradesh Skill Development Mission**
**Government I.T.I. Campus, Aliganj, Lucknow.**
**S.NO. 710 /FlexiMoU/UPSDM/2019**
**Lucknow, Dated : 27/02/2019**

# Notification

## Invitation for Submission of Expression of Interest for Flexi Training Partner in the UPSDM

Uttar Pradesh Skill Development Mission established by the Government of UP as a registered society under the Department of Vocational Education & Skill Development, UP with a mandate to provide training to the unemployed youth to the State in Vocational trades and enabling them to earn their livelihood for sustenance, intends to invite proposals from the reputed and established industrial houses for partnering with the UPSDM as Flexi Training Partners for facilitating training of youth in industry compliant trades and ensuring their placement.

The applicant organizations are required to comply with the following mandatory requirement:-

1. The applicant organization has to be registered under the companies Act 1956 at least 3 years before it submits the application. Subsidiary organizations or Trusts established by parent organization may also apply.
2. The annual turnover of the applicant company should not be less than 100 crore INR for each specific year during the last 3 years preceding to the year in which the proposal is submitted. However, in case of a Subsidiary organization or trust, the turnover of the parent company would be considered.
3. The applicant organization is required to submit an instrument of commitment for training of at least 500 candidates in a year and placing not less than 80% of the successfully assessed candidates. In case the applicant is a subsidiary organization or trust the above commitment is to be provided by the parent organization. The detailed terms and conditions may be seen/downloaded from the UPSDM website-www.upsdm.gov.in.
4. The initial period of the MoU would be 3 years, however extendable on mutual consent for a period so decided based upon the performance of the concern during the currency of the agreement.
5. Interested organization may submit their proposals to the office of the UPSDM on the following address :

**Mission Director,**
**Uttar Pradesh Skill Development Mission,**
**Government ITI Campus,**
**Kapoorthala, Aliganj,**
**Lucknow-226024(UP).**

27/2/19

Mission Director
Uttar Pradesh Skill Development Mission

Read Skill Reporter for RFP Tenders EOI Jobs News

# Flexi-MoU हेतु निर्धारित शर्तें

| क्र0सं0 | Flexi-MoU के अन्तर्गत निर्धारित शर्तें |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1 | इस प्रकार के एम0ओ0यू0 निजी क्षेत्र की ख्याति प्राप्त ऐसी औद्योगिक इकाइयों(जो कि कम्पनीज एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कम्पनी हों) जिनका कि वार्षिक टर्नओवर कम से कम रू0–100.00 करोड़ हो अथवा ऐसी औद्योगिक इकाई /समूह द्वारा स्थापित सब्सिडियरी /ट्रस्टों के साथ किया जाए।<br>औद्योगिक इकाई अथवा उनके द्वारा स्थापित सब्सिडियरी /ट्रस्टों के साथ किये जाने वाले फ्लेक्सी एम0ओ0यू0 हेतु औद्योगिक इकाई /समूह के टर्नओवर को देखा जायेगा तथा मुख्य कम्पनी से भी प्रशिक्षण एवं सेवायोजन कराये जाने हेतु कमिटमेन्ट लिया जायेगा। |
| 2 | इस प्रकार के फ्लेक्सी एम0ओ0यू0 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिये किये जायेगा। |
| 3 | 1–प्रशिक्षण केन्द्र आई0टी0आई0 /पॉलिटेक्निक्स/अन्य शासकीय प्रतिष्ठान व प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा शासकीय भवनों के अतिरिक्त स्थलों पर स्थापित निजी प्रशिक्षण केन्द्र में स्थापित किए जाएंगे।<br>2– यदि औद्योगिक इकाई द्वारा शासकीय भवन में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित होता है तो उसके द्वारा भवन के अपग्रेडेशन/ रेनोवेशन में यथा आवश्यक निवेश किया जायेगा, किन्तु उस निवेश की न्यूनतम सीमा रू0 10 लाख रहेगी। शासकीय भवन में भवन के अपग्रेडेशन/ रेनोवेशन में निवेश की गयी धनराशि के संबंध में प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा स्वप्रमाणित घोषणा–पत्र दिया जायेगा।<br>3– प्रशिक्षण केन्द्र, चाहे निजी/सरकारी व्यवस्था में स्थापित हो उनमें उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा तैयार किये गये संलग्न मानक के अनुसार व्यवस्थायें सुनिश्चित करनी होंगी जिनमें मुख्य रूप से गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण कक्ष, रिसेप्शन, लैब, शौचालय, बोर्ड आदि स्थापित करने होंगे।<br>4– केन्द्र पर आवंटित सेक्टर व कोर्स के अनुसार एमईएस द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार सभी प्रकार के प्रशिक्षण उपकरण की स्थापना करनी अनिवार्य होगी साथ ही पावर बैकअप की व्यवस्था भी करनी होगी। इस प्रकार यह प्रशिक्षण केन्द्र " माडल प्रशिक्षण केन्द्र" के रूप में स्थापित हों।<br>5– यदि प्रशिक्षण केन्द्र सरकारी भवन में स्थापित किये जाते हैं तो निवेश की गयी धनराशि में से बिल्डिंग में निवेश की गयी धनराशि अनुबन्ध समाप्त होने पर संबंधित शासकीय संस्थान की होगी तथा प्रशिक्षण उपकरण को संबंधित प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा वापस लिया जा सकता है। |
| 4 | 1–आई0टी0आई0/पॉलिटेक्निक्स/अन्य शासकीय प्रतिष्ठान में स्थापित होने वाले प्रशिक्षण केन्द्र के सापेक्ष प्राप्त भुगतान का 80 प्रतिशत प्रशिक्षण प्रदाता का होगा तथा 20 प्रतिशत संबंधित शासकीय प्रतिष्ठान का होगा।<br>2– यदि प्रशिक्षण प्रदाता अपनी व्यवस्था में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करता है तो, प्रशिक्षण हेतु निर्धारित भुगतान की पूर्ण धनराशि प्रशिक्षण प्रदाता को दी जायेगी। |
| 5 | सम्बन्धित इकाई के द्वारा आई0टी0आई0 /पॉलिटेक्निक्स में उपलब्ध |

Read Skill Reporter for RFP Tenders EOI Jobs News

| | |
|---|---|
| | अनुदेशकों/प्रशिक्षकों को भी उक्त पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिसमें कि भविष्य में आई0टी0आई0/ पॉलिटेक्निक्स स्वयं भी उन पाठ्यक्रमों में रेग्यूलर कोर्सेज को संचालित कर सकेंगे। |
| 6 | प्रश्नगत एम0ओ0यू0 पार्टनर के सहयोग से स्थापित किय गये प्रशिक्षण इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सुविधाओं का उपयोग प्रथम वरीयता पर एम0ओ0यू0 पार्टनर द्वारा एम0ओ0यू0 में प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु किया जा सकेगा। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के उपरान्त उपलब्ध समय प्रश्नगत प्रशिक्षण इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का उपयोग संबंधित आई0टी0आई0/ पॉलिटेक्निक्स को उपलब्ध कराई जाएगी। |
| 7 | इस प्रकार के एम0ओ0यू0 में सभी प्रकार के आपरेशनल व्यय (यथा बिजली पानी आदि) का भुगतान सम्बन्धित औद्योगिक इकाई के द्वारा ही सुनिश्चित किया जाएगा। |
| 8 | यदि आई0टी0आई0 / पॉलिटेक्निक्स के स्वयं के द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में भी यथास्थिति में उक्त इकाई के द्वारा स्थापित अवस्थापना सुविधाओं का उपयोग किया जाता है तो उस पर होने वाले विभिन्न प्रकार के आपरेशनल व्यय (यथा कच्चा माल, बिजली पानी आदि) का भुगतान सम्बन्धित आई0टी0आई0 /पॉलिटेक्निक्स के द्वारा ही किया जाएगा। |
| 9 | औद्योगिक इकाई द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की भूमि में किसी प्रकार का निर्माण प्रशिक्षण प्रदान करने अथवा प्रशिक्षण सुविधायें विकसित करने के उद्देश्य से कराया जाता है तो वह सम्पत्ति राज्य सरकार की होगी तथा संस्थान की भूमि पर औद्योगिक इकाई का किसी प्रकार का दावा नहीं होगा। यदि औद्योगिक इकाई द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को प्रशिक्षण में सहायक मशीनें व उपकरण (चल सम्पत्ति) उपलब्ध कराये जाते हैं तो वह सम्बन्धित औद्योगिक इकाई की सम्पत्ति होगी तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम बन्द करने की दशा में सम्बन्धित औद्योगिक इकाइ उनको वापस ले जायेगी। |
| 10 | औद्योगिक इकाई द्वारा प्रशिक्षण के सापेक्ष 80 प्रतिशत प्रशिक्षार्थियों का सेवायोजन कराया जायेगा। यदि Flexi-MoU पार्टनर द्वारा उक्त 80 प्रतिशत में से 25 प्रतिशत से अधिक प्रशिक्षार्थियों का सेवायोजन किसी अन्य औद्योगिक इकाई में कराया जाना प्रस्तावित है, उस स्थिति में Flexi-MoU पार्टनर को सेवायोजन करने वाली कुछ संस्थाओं से सेवायोजन हेतु कमिटमेन्ट लेटर प्राप्त करना होगा। |
| 11 | यदि प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा 80 प्रतिशत से अधिक सेवायोजन किया जाता है तो रू0 3 हजार प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान किया जायेगा। |
| 12 | प्रशिक्षण केन्द्र के अनुमोदन की संस्तुति हेतु डी0पी0एम0यू0 एवं एस0पी0एम0यू0 द्वारा नामित अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से केन्द्र का निरीक्षण कर की जायेगी। |

Read Skill Reporter for RFP Tenders EOI Jobs News

| | |
|---|---|
| 13 | आवासीय प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय का वहन यदि वित्त पोषण करने वाली योजना में अनुमन्य है, तो उस योजना में बने हुए बैच को निर्धारित दरों के अनुसार वहन किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में मिशन द्वारा निर्धारित दर रू0 100 प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन राज्य काशल विकास निधि से वहन किया जायेगा।<br>उक्त के अतिरिक्त ऐसे सभी प्रशिक्षणार्थियों को आवासीय सुविधा का लाभ अनुमन्य होगा, जो आवास से 30 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। आवासीय सुविधा का लाभ सभी श्रेणी/वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को अनुमन्य होगा। |
| 14 | Flexi-MoU पार्टनर द्वारा प्रतिवर्ष (MoU हस्ताक्षरित करने की तिथि से) न्यूनतम 500 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। |
| 15 | यू0पी0एस0डी0एम0 द्वारा अनुमोदित सेक्टर एवं कोर्स के अतिरिक्त यदि सेवायोजन की दृष्टि से Flexi-MoU पार्टनर ऐसे सेक्टर एवं कोर्स प्रस्तावित करता है जो कौशल विकास मिशन द्वारा अनुमोदित सूची में सम्मिलित नहीं है, तो ऐसी दशा में कौशल विकास मिशन प्रस्तावित सेक्टर एवं कोर्स को नियमानुसार SCVT/DGET/SSC से अनुमोदित कराकर प्रशिक्षण हेतु स्वीकृति देगा। |

Read Skill Reporter for RFP Tenders EOI Jobs News